Regarding alleged irregularities in appropriation of compensation amount for acquisition of land for construction of roads in Chhattisgarh under Bharatmala Project.-laid

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी **(**महासमुन्द**) :** छत्तीसगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 463 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है । ₹25,650 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में अनियमित्तताओं के चलते भूमि के फर्जी विभाजन, बैकडेटेड दस्तावेज़ों और फर्जी नामों के ज़रिए वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक मुआवजा राशि निकाली गई । उदाहरणस्वरूप, अभनपुर क्षेत्र के नायकबांधा और उरला-2 गांवों में 29.5 करोड़ की भूमि को विभाजित कर 78 करोड़ रुपये के मुआवजे के रूप में दर्शाया गया, जिससे एक ही परिवार को ₹70 करोड़ तक की राशि प्राप्त हुई । अभनपुर बेल्ट के 9.38 किमी में ₹324 करोड़ मुआवजा स्वीकृत हुआ, जिसमें ₹246 करोड़ जारी भी हो गए । प्रारंभिक जांच में ₹43.19 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई, जबकि कुल हानि ₹220? 326 करोड़ रुपये तक होने की आशंका है । इस मामले में SDM, तहसीलदार, पटवारी समेत कई अधिकारियों पर FIR दर्ज हुई है तथा EOW और ACB ने 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां की हैं । भविष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों सहित भारत माला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है । अतः उपरोक्त अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।